Raj. State Co-operative Press Ltd., Jaipur/1712/2018

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर

शॉप एजेन्सी/बूथ आवंटन-आवेदन पत्र

नाम आवेदक श्री/सुश्री :..

पिता/पति का नाम :..

जन्म दिनांक :..

आवेदक का पता

1. वर्तमान पता :..

....

2. स्थायी पता :..

....

आवेदक की फोटो

(स्थायी पते का प्रमाण-मूल निवास/राशन कार्ड/वोटर आईडी/अन्य ....)

दूरभाष नं. लैण्डलाईन :..मोबाईल नं...

वर्तमान व्यवसाय..पैन कार्ड नं..(प्रति संलग्न करें)

शॉप एजेन्सी/बूथ का प्रस्ताव स्थान का पूर्ण पता :..

(बूथ के लिये स्थल मानचित्र संलग्न करें) ....

....

हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

सहायक विक्रय प्रतिनिधी की टिप्पणी

1. प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की दिनांकः..वापसी जमा दिनांक..
2. क्या प्रस्तावित स्थान पर अनुबन्धित गाड़ी जा सकती है- 1. हाँ 2. नहीं
3. क्या प्रार्थी के पास फ्रीज की सुविधा उपलब्ध है- 1. हाँ 2. नहीं
4. प्रस्तावित स्थल के पास स्थित बूथ/शॉप एजेन्सियों का विस्तृत विवरण-

क्रम संख्या	बूथ/शॉप एजेन्सी संख्या	प्रस्तावित स्थल से दूरी (मीटर)	प्रतिदिन की औसत बिक्री (लीटर)
1			
2			
3			

5. एजेन्सी आवंटन के बारे में रिपोर्ट :..

....

....

हस्ताक्षर

वर्तमान में बूथ/शॉप एजेन्सी स्वीकृत/अस्वीकृत की जाती है कृपया धरोहर राशि रूपये..जमा करावें।

सहा. प्रबन्धक (विपणन)/उप-प्रबन्धक (विपणन)

धरोहर राशि रूपये........................अग्रिम बूथ किराया राशि........................डी.डी.सं........................राशि........................दिनांक........................

रसीद संख्या........................दिनांक........................शॉप एजेन्सी संख्या........................क्षेत्र संख्या........................ आवंटित करते हुये दिनांक........................से सप्लाई प्रारम्भ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उप-प्रबन्धक (विपणन)

नियम एंव शर्ते

1. खुदरा विक्रेता की नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन माह के लिए की जाएगी। यह अवधि यदि जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चाहे तो बढाई जा सकती है तथा बिना नोटिस दिये विक्रेताशिप समाप्त भी की जा सकती है।
2. खुदरा विक्रेता को संघ द्वारा निर्धारित सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। एजेन्सी आवंटन के बाद भी सुरक्षा राशि में वृद्धि की जा सकती है। एजेन्सी धारक को तद्नुसार राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा।
3. खुदरा विक्रेता को दुग्ध एंव दुग्ध उत्पाद, वितरक से नकद भुगतान (रिटेलर कमीशन कम करके) पर प्राप्त करने होंगें। दुग्ध/दुग्ध उत्पाद बिक्री राशि बकाया रखने पर सप्लाई तुरन्त प्रभाव से बन्द की जा सकती है एवं एजेन्सी निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि समायोजित/जब्त की जा सकती है।
4. एजेन्ट को न्यूनतम 100 लीटर दूध प्रतिदिन बेचना अनिवार्य है। अगर एजेन्सी आवंटन के एक माह में भी 100 लीटर दूध विक्रय नहीं किया जाता है तो बिना सूचना के एजेन्सी निरस्त की जा सकती है।
5. खुदरा विक्रेताओं को उनकी मांग के अनुसार दूध एवं दूध उत्पाद सप्लाई किये जाते हैं। साधारणतया बचा हुआ दूध/दूध उत्पाद वापस स्वीकार नहीं किये जावेगें। यदि किसी कारणवश ग्राहक की कोई समस्या आती है या उत्पाद में कोई कमी प्रतीत होती है तो उसका निराकरण बूथ धारक अपने स्तर पर जयपुर डेयरी से करवायेंगे। ग्राहक की सन्तुष्टि सर्वोपरि है।
6. बिक्री राशि एवं दूध/दूध उत्पादों के साथ सप्लाई की गयीं क्रेटें खुदरा विक्रेता को निर्धारित प्रक्रियानुसार पूरी मात्रा में वापस जमा करानी होंगी। इसकी पालना नहीं किये जाने पर एजेन्ट की सप्लाई बन्द की जा सकती है तथा लगातार ऐसा करने पर एजेन्सी निरस्त की जा सकती है।
7. खुदरा विक्रेता को ग्राहकों/वितरकों एवं संघ प्रतिनिधियों से शालीन व्यवहार करना होगा। अभद्र व्यवहार करने, लड़ाई झगड़ा करने एवं तथ्यहीन निराधार शिकायतें करने तथा ऐसा प्रमाणित होने पर सम्बन्धित एजेन्ट के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी। जिसके अन्तर्गत एजेन्टशिप निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।
8. खुदरा विक्रेता को संघ द्वारा निर्धारित समयानुसार बूथ/एजेन्सी पर दूध/दूध उत्पाद बिक्री सुनिश्चित करनी होगी।
9. खुदरा विक्रेता को एजेन्सी के स्थान से ही दुध/दूध उत्पाद बिक्री करने होंगे। अन्य स्थान/अन्य एजेन्सी के पास बिक्री करने पर एजेन्सी समाप्त की जा सकती है। एजेन्सी/बूथ आवंटन अहस्तान्तरणीय है। इस हेतु खुदरा विक्रेता को फूड लाईसेन्स लेना अनिवार्य है।
10. वितरण सम्बन्धी आदेश जो भी समय–समय पर दिये जायेगे वे मान्य होगें तथा खुदरा विक्रेता उनकी पूर्ण रूप से पालना करेगें।
11. बूथ/शॉप एजेन्सी जिसके नाम से आवंटन की जाएगी उसका संचालन उसे स्वयं ही करना होगा, किसी और के द्वारा संचालन करवाने या एजेन्सी/बूथ सबलेट करने पर एजेन्सी निरस्त की जा सकती है। खुदरा विक्रेता का स्वयं का परिचय–पत्र/ऐड्रेस प्रूफ देना होगा।
12. खुदरा विक्रेता/बूथ एजेन्ट द्वारा सरस के प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध/दूध उत्पाद बिक्री किया जाना एवं इनके साथ किसी भी तरह का व्यवसायिक सम्बन्ध रखने पर एजेन्सी तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जाकर सुरक्षा राशि जब्त करली जावेगी।
13. खुदरा विक्रेता आवेदन के साथ दिये गये दस्तावेज/सूचना गलत पाये जाने पर एजेन्सी निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।
14. बूथ आवंटन चाहने वाले आवेदक को जयपुर नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण/हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य स्थानीय निकायों स अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। शॉप एजेन्सी हेतु आवेदक को दुकान का मालिकाना हक/किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।
15. **स्वीकृति मिलने के तीन माह में यदि बूथ शुरु नहीं करता है तो स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**
16. जयपुर डेयरी/आरसीडीएफ/सरकारी निकायों द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ एवं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं जर्दा इत्यादि की बूथ पर भण्डारण/प्रदर्शन, एवं बिक्री नहीं की जायेगी। बिक्री किये जाने पर बूथ आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
17. संघ के स्वामित्व वाले बूथ होल्डर्स एवं नगर निगम/लोकल ऑथोरिटी द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर आवंटित बूथ होल्डर्स/एजेन्ट को बूथ किराया राशि (भूमि लाईसेन्स फीस) नियमित रूप से अग्रिम जमा करानी होगी, जमा नहीं होने की स्थिति में बिना पूर्व नोटिस के एजेन्सी की सप्लाई बन्द करते हुए बूथ/शॉप एजेन्सी निरस्त की जा सकती है। एक बार जमा कराया गया बूथ किराया वापस नहीं होगा।
18. आवासीय क्षेत्रों में शॉप एजेन्सी चाहने वाले आवेदक को शॉप एण्ड वाणिज्यक एक्ट के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
19. सैटबैक स्थान पर शॉप एजेन्सी आवन्टन नहीं की जावेगी।
20. यदि एजेन्सी धारक द्वारा दुग्ध बिक्री मात्रा में वृद्धि सुरक्षा राशि के अनुपात में अधिक होती है तो संघ प्रशासन द्वारा सुरक्षा राशि में दुग्ध बिक्री के अनुपात में वृद्धि करने के लिये स्वतन्त्र होगा।
21. जयपुर नगर निगम द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुसार बूथ धारकों को समयानुसार ही निर्धारित किराया राशि जमा करवानी होगी।
22. नगर निगम द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर आवंटित बूथों की दूरी पूर्व स्थित बूथ से लगभग 200 मीटर होना आवश्यक है।
23. आवेदक के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार संघ प्रशासन के पास सुरक्षित है।
24. उक्तानुसार सभी नियम/शर्तें मेरे द्वारा अच्छी तरह पढ़कर समझ ली गयी हैं। मैं/हम इनके पालन के लिये सहमत हूँ । इन शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर आवे